

मिसिल सं. 24(276)/सीडीएन
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली


प्रेषण सं. 269/2010

दिनांकित 27, जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा भूमि और विकास कार्यालय द्वारा आवंटित भूमि की उप-किराएदारी- संबंधित अनुदेश।

इस मंत्रालय द्वारा सभी संस्थाओं को उप-किराएदारी नीति के अनुपालन और नीति की समयावधि बढ़ाने के लिए समय को बढ़ाए जाने के संबंध में अनुरोधों की जांच की गई थी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि नीति की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाए। तथापि, ढील देने के लिए मामला समझाने के लिए मंत्रालय के निर्णय हेतु विशेष आवेदन प्रस्तुत किए जाएं।


(सुरेंद्र सिंह)

उप भूमि एवं विकास अधिकारी

सेवा में,

1. सभी अनुभाग
2. सभी अधिकारी
3. सीडीएन की गार्ड फाइल
4. एलडीओ साइट पर अद्यतन करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनआईसी